मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

दिनांक: 21/11/2025

क्रमांक: 4343/3036144/2025/18-1 :: श्री राजललित गुमास्ता, उपयंत्री, नगर पालिक निगम, जबलपुर (मूल निकाय- नगर पालिक निगम, कटनी) एवं अन्य द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने के फलस्वरूप विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा अपराध क्रमांक 448/2014, के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)डी, 13(2) एवं 120बी, 420, 467, 468, 471, 201 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति चाहे जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी के आदेश दिनांक 05.12.2019 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।

2/ श्री राजललित गुमास्ता, उपयंत्री, नगर पालिक निगम, जबलपुर (मूल निकाय- नगर पालिक निगम, कटनी) के विरूद्ध अभियोजन उपरांत माननीय विशेष न्यायालय, जबलपुर में दिनांक 25.08.2020 को चालान प्रस्तुत हो जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.1996 के प्रावधान अनुसार आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी के आदेश दिनांक 15.09.2020 द्वारा निलंबित किया गया।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 09.04.2019 द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 09.10.2025 को किया गया। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं निम्नानुसार अनुशंसा की गई:-

"निलंबन की अवधि 05 वर्ष से अधिक हो चुकी है। प्र.क्र. 448/2014 माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण के संबंध में दिनांक 25.08.2020 से दिनांक 24.07.2025 तक की कार्यवाही/सुनवाई में श्री गुमास्ता उपस्थित रहे है। केवल दिनांक 28.04.2025 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनुपस्थिति के संबंध में विधिवत माननीय विशेष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सूचना दी गई। जिसे अभिभाषक के माध्यम से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा मान्य किया गया, इससे स्पष्ट है कि श्री गुमास्ता द्वारा प्रकरण में सहयोग किया जा रहा है। इनके कारण प्रकरण में कोई विलंब नहीं हो रहा है। चूंकि न्यायालयीन प्रकरण में और समय लगने की संभावना है। अतः श्री गुमास्ता को निलंबन से बहाल करने का निर्णय लिया गया।"

4/ अतः समिति द्वारा की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में श्री राजललित गुमास्ता, उपयंत्री को निलंबन से बहाल करते हुये पदस्थापना किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अतः राज्य शासन एतद द्वारा श्री राजललित गुमास्ता, उपयंत्री, नगर पालिक निगम, जबलपुर (मूल निकाय- नगर पालिक निगम, कटनी) को निलंबन से बहाल कर नगर पालिक निगम, मुरैना में उपयंत्री के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है। श्री गुमास्ता की निलंबन अवधि का निराकरण न्यायालयीन निर्णय के उपरांत किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
PRAMOD KUMAR SHUKLA
Date: 20-11-2025
11:44:54

(प्रमोद कुमार शुक्ला)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ. क्रमांक 4344/3036144/2025/18-1 भोपाल, दिनांकः 21/11/2025

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर/कटनी/मुरैना।
4. श्री राजललित गुमस्ता, उपयंत्री, मुख्यालय-नगर पालिक निगम, जबलपुर।
5. श्री अभिलाष सोनी, बेव कंटेन्ट मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर बेवसाई पर प्रकाशन हेतु।
6. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग